



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2018/चैत्र 7, 1940

No. 190]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2018/CHAITRA 7, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2018

सा.का.नि. 290(अ) .—केन्द्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, अभियोजक और ज्येष्ठ अभियोजक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, अभियोजक और ज्येष्ठ अभियोजक समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, अभियोजक और ज्येष्ठ अभियोजक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची में, -

(i) क्रम संख्या 1 में, अभियोजक के पद के सामने

(क) स्तंभ (4) में,

(अ) शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान";

(आ) विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् -

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8(47,600-1,51,100रु.);

(ख) स्तंभ (6) में, 'टिप्पण' के स्थान पर निम्नलिखित 'टिप्पण' रखा जाएगा, अर्थात् :-

टिप्पण - आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जो सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विज्ञापित की जाए।";

(ग) स्तंभ (7) में,-

(अ) 'आवश्यक' शीर्ष के अधीन, मद (i) में, "किसी भी विषय में स्नातक विधि में बैचलर डिग्री" शब्दों के स्थान पर "किसी भी विषय में स्नातक और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में बैचलर डिग्री" शब्द रखे जायेंगे;

(आ) 'आवश्यक' शीर्ष के अधीन, मद (II) में "विधि (5 वर्षीय पाठ्यक्रम)" कोष्ठक, अंक और शब्दों से पहले "किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(इ) 'वांछनीय' शीर्ष के अधीन, मद (II) में, "विधि में मास्टर (एलएलएम)" कोष्ठक और अक्षरों से पहले "किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) स्तंभ (9) में, "दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण" शब्दों के स्थान पर "दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण, जैसा एसएफआईओ द्वारा विहित और प्रायोजित है" शब्द रखे जाएंगे;

(ङ) स्तंभ (11) में, 'प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)' शीर्ष के अधीन,-

(i)* हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।;

(ii) मद (क) के उप-मद(II) में, "वेतन बैंड -2, 9300-34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4600 रुपये" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7(44,900-1,42,400 रु.)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(iii) मद (क) के उप मद (III) में, "वेतन बैंड-2, 9300-34,800 रुपये + ग्रेड वेतन 4200रु", शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6(35,400-1,12,400 रु.)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(iv) 'टिप्पण' में,-

(क) मद (i) का लोप किया जाएगा;

(ख) * (ii) में, हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।;

(च) स्तंभ (12) में, "पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति" शब्दों के स्थान पर "विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(छ) स्तंभ (13) में, 'विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्,-

"प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है";

(ii) क्रम संख्या 2 में ज्येष्ठ अभियोजक के पद के सामने,-

(क) स्तंभ (4) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् -

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 10 (56,100-1,77,500 रु.);

(ख) स्तंभ (11) में,-

(i) "प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)" शीर्ष का लोप किया जाएगा;

(ii) 'प्रोन्नति' उप-शीर्ष के अधीन-

- (क) "वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4800 रुपये" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8(47,600-1,51,100 रु.)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;
- (ख) 'टिप्पण 1' के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् -
 "जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब, जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
- (ग) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;
- (iii) 'प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)' शीर्ष के अधीन, -
- (क) "कानूनी और स्वायत्त निकायों" शब्दों के लिए "कानूनी या स्वायत्त निकायों" शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) मद (क) के उप-मद (II) में "वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4800 रुपये" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47,600-1,51,100 रु.)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;
- (ग) मद (क) के उप-मद (III) में, "वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4600 रुपये" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900-1,42,400 रु.)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;
- (घ) "आवश्यक" उप-शीर्ष के अधीन मद (क) के उप-मद (i) में, "विधि में बैचलर डिग्री" शब्दों के स्थान पर "किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में बैचलर डिग्री" शब्द रखे जाएंगे।
- (ङ) "आवश्यक" उप-शीर्ष के अधीन, मद (क) के उप मद (ii) में, "विधि (5 वर्षीय पाठ्यक्रम) में एकीकृत स्नातक" शब्दों, अंकों और कोष्ठक के स्थान पर "किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि (5 वर्षीय पाठ्यक्रम) में एकीकृत स्नातक" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;
- (च) "वांछनीय" उप-शीर्ष के अधीन, मद (ii) में "विधि में मास्टर (एलएलएम)" शब्दों, अक्षरों और कोष्ठक से पहले "किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से" शब्दों को अंतःस्थापित किये जाएंगे;
- (छ) 'टिप्पण' में, -
- (क) *हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।;
- (ख) मद (ii) के लिए, निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात् -
 "(ii) पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे";
- (iv) स्तंभ (12) में, "पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति" शब्दों के स्थान पर "विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;
- (v) स्तंभ (13) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् -
 "किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है"

[फा. सं. ए-35011/28/2009-प्रशा. III]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 15 मार्च, 2016 में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 302(अ), तारीख 14 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2018

G.S.R. 290.(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Prosecutor and Senior Prosecutor, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2016, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Prosecutor and Senior Prosecutor, Group 'B' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Prosecutor and Senior Prosecutor, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2016, (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"3. Number of posts, classification, level in the pay matrix. - The number of posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule."

3. In the said rules, in the Schedule, -

(i) in serial number 1, against the post of Prosecutor, -

(a) in column (4),

(A) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-
"Level in the pay matrix or pay scale.";

(B) for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
"Level 8 in pay matrix (Rs. 47,600-1,51,100).";

(b) in column (6), for the 'Note', the following 'Note' shall be substituted, namely:-

"Note:- The crucial date for determining the age-limit shall be the date as advertised for direct recruits.";

(c) in column (7),-

(A) under the heading 'Essential', in item (I), for the words "Graduate in any discipline plus bachelor's degree in Law", the words "Graduate in any discipline plus bachelor's degree in Law from a recognised university or institute" shall be substituted;

(B) under the heading 'Essential', in item (II), after the brackets, figures and words "(5 years duration)", the words "from a recognised university or institute" shall be inserted;

(C) under the heading 'Desirable', in item (II), after the brackets and letters "(LLM)", the words "from a recognised university or institute" shall be substituted;

(d) in column (9), for the words, "mandatory induction training of two weeks duration", the words, "mandatory induction training of two weeks duration, as prescribed and sponsored by SFIO", shall be substituted;

(e) in column (11), under the heading 'Deputation (Including Short-term Contract)', -

(i) for the words, "Autonomous and Statutory", the words, "autonomous or statutory", shall be substituted;

(ii) in item (A), in sub-item (II), for the words, figures and letters, "Pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600", the words, figures, letters and brackets, "level 7 in pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400)" shall be substituted;

(iii) in item (A), in sub-item (III), for the words, figures and letters, "Pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200", the words, figures, letters and brackets, "level 6 in pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400)", shall be substituted;

(iv) in the 'Note', -

(a) item (i) shall be omitted;

(b) in item (ii), for the words, "shall be for a period of three years", the words, "shall ordinarily not to exceed three years", shall be substituted;

(f) in column (12), for the words, "Departmental Confirmation Committee for considering confirmation", the words and brackets, "Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)", shall be substituted;

(g) in column (13), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion";

(ii) in serial number 2, against the post of Senior Prosecutor, -

(a) in column (4), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-10 in pay matrix (Rs. 56,100-1,77,500)";

(b) in column (11), -

(i) the heading "Promotion/Deputation (Including Short-Term Contract)" shall be omitted;

(ii) under the sub-heading 'Promotion',-

(a) for the words and figures, "Pay band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4800", the words, figures and brackets, "level 8 in pay matrix (Rs. 47,600-1,51,100)" shall be substituted;

(b) for 'Note 1', the following 'Note' shall be substituted, namely:-

“Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.”;

- (c) the Note 2 shall be omitted;
- (iii) under the heading ‘Deputation (Including Short-Term Contract)’:—
- (a) for the words, “statutory and autonomous bodies”, the words, “autonomous or statutory bodies”, shall be substituted;
- (b) in item (A), in sub-item (II), for the words, figures and letters, “pay band-2 Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4800”, the words, figures, letters and brackets, “level 8 in pay matrix (Rs. 47,600-1,51,100)” shall be substituted;
- (c) in item (A), in sub-item (III), for the words, figures and letters, “Pay band-2 Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600”, the words, figures, letters and brackets, “level 7 in pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400)” shall be substituted;
- (d) under sub-heading ‘Essential’, in item (A), in sub-item (I), for the words “bachelor’s degree in Law”, the words, “bachelor’s degree in Law from a recognised university or institute” shall be substituted;
- (e) under sub-heading ‘Essential’, in item (A), in sub-item (II), for the words, figures and brackets “Integrated graduate in Law (5 years duration)”, the words, figures and brackets “Integrated graduate in Law (5 years duration) from a recognised university or institute”, shall be substituted;
- (f) under sub-heading ‘Desirable’, in item (II), after the words, letters and brackets “Masters in Law (LLM)”, the words, “from a recognised university or institute”, shall be inserted;
- (g) in the ‘Note’, -
- (a) in item (i), for the words, “shall be for a period of three years”, the words, “shall ordinarily not to exceed three years”, shall be substituted;
- (b) for item (ii), the following item shall be substituted, namely:-
- “(ii) The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion”;
- (iv) in column (12), for the words, “Departmental Confirmation Committee for considering confirmation”, the words and brackets, “Departmental Promotion Committee (for considering promotion)”, shall be substituted;
- (v) in column (13), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on Deputation (Including Short-term Contract)”;

[F. No. A-35011/28/2009-Ad.III]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy

Note:—The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 302 (E), dated the 14th March, 2016 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 15th March, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2018

सा.का.नि. 291.(अ)—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक निदेशक (विधि), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक निदेशक (विधि), समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक निदेशक (विधि), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, इससे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं”

3. उक्त नियमों की अनुसूची के

(i) स्तंभ (4) में, -

(अ) शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान 1”;

(आ) विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (47,600 - 1,51,100/- रु.)”;

(ii) स्तंभ 11 में, 'प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)' शीर्ष के अधीन, -

(क) “स्वायत्त और कानूनी” शब्दों के स्थान पर “स्वायत्त या कानूनी”, शब्द रखे जाएंगे;

(ख) मद (क), के उप-मद (II) में, “वेतन बैंड-2, 9300-34800 रूपए + ग्रेड वेतन 4600 रूपए”, शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900-1,42,400/- रु.)” अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) मद (क), के उप-मद (III) में, “वेतन बैंड-2, 9300-34800 रूपए + ग्रेड वेतन 4200 रूपए”, शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400-1,12,400 रु.)” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(घ) मद (I) में 'आवश्यक' उपशीर्ष के अधीन “किसी भी विषय” शब्दों से पहले “किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ङ) मद (II) के 'आवश्यक' उपशीर्ष के अधीन “विधि (पांच वर्षीय पाठ्यक्रम)” कोष्ठकों और शब्दों से पहले “किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(च) 'वांछनीय अर्हता' उपशीर्ष के स्थान पर 'वांछनीय' उपशीर्ष रखा जाएगा;

(छ) मद (I) में 'वांछनीय अर्हता' उपशीर्ष के अधीन “एक वर्ष का अतिरिक्त अनुभव” शब्दों के स्थान पर “एक वर्ष का अनुभव” शब्द रखे जाएंगे;

(ज) मद (II) के 'वांछनीय अर्हता' उपशीर्ष के अधीन “विधि में मास्टर (एलएलएम)” शब्दों और कोष्ठकों से पहले “किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(झ) 'टिप्पणी' में,-

(क) मद 1 का लोप किया जाएगा;

(ख) मद (ii) में, “प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए आयुसीमा” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर “प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए आयुसीमा” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

[फा. सं. ए-35011/28/2009-प्रशा. III]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 15 मार्च, 2016 में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 297(अ), तारीख 14 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2018

G.S.R. 291(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Assistant Director (Law). Group 'B' Post Recruitment Rules, 2016, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Assistant Director (Law), Group 'B' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Assistant Director (Law), Group 'B' Post Recruitment Rules, 2016, (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of posts, classification, level in the pay matrix.- The number of posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.":

3. In the said rules, in the Schedule, -

(i) In column (4),-

(A) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix or pay scale.";

(B) for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level 8 in the pay matrix (Rs. 47,600-1,51,100).":

(ii) in column (11), under the heading 'Deputation (Including Short-term Contract)',-

(a) for the words, "Autonomous and Statutory", the words, "Autonomous or Statutory", shall be substituted;

(b) in item (A), in sub-item (II), for the words, figures and letters, "pay band-2 Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department; and", the words, figures, letters and brackets, "level 7 in pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400) or equivalent in the parent cadre or department; or" shall be substituted;

(c) in item (A), in sub-item (III), for the words, figures and letters, "pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200", the words, figures, letters and brackets, "level 6 in pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400)" shall be substituted;

(d) under sub-heading 'Essential', in item (I), after the words, "Bachelor's degree in Law", the words, "from a recognised university or institute", shall be inserted;

(e) under sub-heading 'Essential', in item (II), after the brackets and words, "(five years' duration)", the words, "from a recognised university or institute" shall be inserted;

(f) for the sub-heading, "Desirable Qualification", the sub-heading, "Desirable" shall be substituted;

(g) under sub-heading 'Desirable Qualification', in item (I), for the words, "Additional one year experience", the words, "One year experience", shall be substituted;

(h) under sub-heading 'Desirable Qualification', in item (II), after the words and brackets, "Masters' in Law (LLM)", the words, "from a recognised university or institute", shall be inserted;

(i) in the 'Note',-

(A) item (i) shall be omitted;

(B) in item (ii), for the words, "Age-limit for appointment by deputation", the words and brackets, "Age-limit for appointment by deputation (Including Short-term Contract)" shall be substituted;

[F. No. A-35011/28/2009-Ad. III]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 297 (E), dated the 14th March, 2016 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 15th March, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2018

सा.का.नि. 292(अ) .— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 का 18)2013 की धारा 211 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक निदेशक (अन्वेषण), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक निदेशक (अन्वेषण), समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक निदेशक (अन्वेषण), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"2.पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।";

3. उक्त नियमों की अनुसूची के

(i) स्तंभ (4) में, –

(अ) शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमाना";

(आ) विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (47,600 – 1,51,100/- रुपए)";

(ii) स्तंभ 11 में, 'प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है)' शीर्ष के अधीन, –

(क) "स्वायत्त और कानूनी" शब्दों के स्थान पर "स्वायत्त या कानूनी", शब्द रखे जाएंगे;

(ख) मद (क), के उप-मद (ii) में, "वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4600 रुपए", शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स (44,900-1,42,400/- रुपए) में स्तर-7" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ग) मद (क), के उप-मद (iii) में, "वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4200 रुपए", शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स (35,400-1,12,400 रुपए) में स्तर-6" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(घ) मद (क) के उप-मद (iv) का लोप किया जाएगा;

(ड) 'टिप्पण' में,-

(क) मद (i) का लोप किया जाएगा;

(ख) मद (ii) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।"

(ग) मद (ii) में, "प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा" शब्दों के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

[फा. सं. ए-35011/28/2009-प्रशा. III]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 296(अ), तारीख 14 मार्च, 2016 द्वारा तारीख 15 मार्च, 2016 को प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2018.

G.S.R. 292 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Assistant Director (Investigation), Group 'B' Post Recruitment Rules, 2016, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Assistant Director (Investigation), Group 'B' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Assistant Director (Investigation), Group 'B' Post Recruitment Rules, 2016, (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of posts, classification, level in the pay matrix. - The number of posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";

3. In the said rules, in the Schedule, -

- (i) In column (4)-
(A) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-
"Level in pay matrix or pay scale.";
- (B) for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
"Level 8 in the pay matrix (Rs. 47,600-1,51,100)";
- (ii) in column (11), under the heading 'Deputation (Including Short-term Contract)'-
- (a) for the words, "Autonomous and Statutory", the words, "Autonomous or Statutory", shall be substituted;
- (b) in item (A), in sub-item (II). for the words, figures and letters. "Pay band-2 Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600", the words, figures, letters and brackets. "level 7 in pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400)" shall be substituted;
- (c) in item (A), in sub-item (III), for the words, figures and letters, "Pay band-2 Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200", the words, figures, letters and brackets, "level 6 in pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400)" shall be substituted;
- (d) in item (A), sub-item (IV) shall be omitted;
- (e) in the 'Note',-
- (a) item (i) shall be omitted;
- (b) in item (ii), for the words, "Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post", the words and brackets, "Period of deputation (Including Short-term Contract) including period of deputation (Including Short-term Contract) in another ex-cadre post" shall be substituted;
- (c) in item (ii), for the words, "Age-limit for appointment by deputation", the words and brackets, "Age-limit for appointment by deputation (Including Short-term Contract)" shall be substituted;

[F. No. A-35011/28/2009-Ad. III]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note:-The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 296 (E), dated the 14th March, 2016 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 15th March, 2016.

RAKESH
SUKUL

Digitally signed by
RAKESH SUKUL
Date: 2018.03.31 16:23:05
+05'30'

